भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 4079

(जिसका उत्तर गुरुवार, 21 मार्च, 2013/30 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

<u>विदेशी कंपनियां</u>

4079. डा. एम. तम्बिदुरई :

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकाधिक संख्या में विदेशी कंपनियां पंजीयन करा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान पंजीकृत हुई विदेशी कंपनियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और देश में इन कंपनियों के पंजीकरण की अनुमति देने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) क्या कुछ विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए मानदंडों का उल्लंघन किए जाने के मामले हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख) : कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के साथ पठित धारा 592 के अनुसार भारत में व्यवसाय स्थान हेतु अधिनियम के भाग X के अनुसार विदेशी कंपनियों का पंजीकरण फेमा, 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के पश्चात् ही होता है। इस मंत्रालय में रखे गए अभिलेखों के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान निगमित विदेशी कंपनियों का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्त वर्ष	निगमित विदेशी कंपनियों की संख्या
1.4.2010-31.3.2011	222

(ग): उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****